GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034. (CO-ORDINATION BRANCH)

F.5.(2)/2013/IMP/CDN/TTE/ 400 - 403

Dated: 27,12,2016

To,

- 1. All Office/Branch in-charges at TTE(H.Q)/BTE
- 2. All Head of Institutions under DTTE.

Sub:- (1) Forwarding of letter of the Secretary, UGC.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of letter No. DHE 6(87)/2016-17/NHRC/NCSC/UGC/4302-18 dated 3/11/16 with enclosures on the subjects cited above. The same is being uploaded on the Department website www.tte.delhigov.nic.in for further necessary information/action in this regard.

Yours faithfully,

(PRASAD KUMAR P) SUPERINTENDENT(CDN)

Dated: 27,12,2016

F.5.(2)/2013/IMP/CDN/TTE/ 400 - 403 Copy to:-

1. Assistant Programmer, DTTE (HQ) with the request to upload the above noted information on the website of the Deptt. copies of the letters referred to above are also enclosed.

2. P.A. to Spl. Director (TTE)

(PRASAD KUMAR P)
SUPERINTENDENT(CDN)

6010/Dly (77E)

GOVERNMENT OF N DIRECTORATE OF HIGH

No. DHE 6(87)/2016-17/NHRC/NCSC/UGC 4302-18

Dated:3/11/16

To

- 1. The Director, Dte. of Education, GNCTD, Old Sectt., Delhi.
- 2. The Director, Dte. of Trg. & Tech. Education, GNCTD, Muni Maya Ram Marg, Pitampura, Delhi-110088.
- 3. The Registrar, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Sector-16 C, Dwarka, Delhi-110078.
- 4. The Registrar, Ambedkar University, Kashmere Gate, Delhi-110006.
- 5. The Registrar, National Law University, Sector-14, Dwarka, New Delhi-78.
- 6. 12 Colleges 100% funded by Govt, of NCT of Delhi.

Forwarding of letter of the Secretary, UGC.

Sir.

Please find enclosed herewith a D.O. letter No.2-1/2016(AMPC) dated 16/9/2016 received from the Secretary, UGC alongwith copy of a letter of Sh. Kirpal Balaji Tumane, MP (Lok Sabha) addressed to Minister, HRD/GOI regarding taking action on School/Colleges and tuition centres with the request to take necessary and appropriate action for issuing the instructions to school/colleges to ask teachers to impart proper education to students under intimation to this Directorate, UGC and inform Ithe Hon'ble M.P. also regarding action taken in the matter.

Yours faithfully,

Encl: As above.

ADMINISTRATIVE OFFICER-I(HE)

Copy has been Returned by NG brails, PUC may be followed and to OS (CDN) for issuing the instruction of to other Institutes under DTT.



0-24

प्रो. डॉ. जसपाल एस, सन्ध्र सचिव

Prof. Dr. Jaspal 8. Sandhu MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS

Secretary

246139/216 /Admons



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 🗛 **University Grants Commission**

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23239337, 23236288,

Fax: 011-23238858, email: jssandhu.ugc@nic.in

स्पीड पोस्ट

मि. सं. 2-1/2016(ए.एम.पी.सी.)

शिक्षा सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार

कमरा न. ६, पुराना सचिवालय

दिल्ली-110054

2634/HE 09/8/16 , 6 SEP 2016

अगस्त, 2016

- FINRY TIE (Doll)

12.3 May 27.44

07/9/K

महोदय / महोदया.

लोकसभा सांसद माननीय श्री कृपाल बालाजी तुमाने के पत्र सं0 केटी-एमपी/रामटेक/3349/2015 दिनांक 07/09/2015 जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री को सम्बोधित है (प्रति संलग्न) जिसमें उन्होंने अपने दो अन्य पत्रों केटी-एमपी/रामटेक/3349/2015 दिनांक 07/09/2015 एवं केटी-एमपी/3060/2015 दिनांक 26/07/2015 को उद्धृत करते हुए पाठशाला/महाविद्यालय और विद्यापीठ/बोर्ड की ट्यूशन संस्थानों/क्लास के साथ संचालकों की सांठगांठ होने से शिक्षक पढ़ाई न लेते हुए विद्यार्थियों को ट्रयूशन लगाने की सलाह देते हैं तथा इसके लिए मनमानी फीस वसूल रहे है। इन पर कोई नियंत्रण न होने के कारण ये शिक्षा की गुणवत्ता एवं आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए घातक साबित हो रहे है। सांसद महोदय ने सम्बन्धित बोर्ड बनाकर इस प्रकार की समाज एवं छात्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का आग्रह किया है। अतः आपसे निवेदन है कि माननीय सांसद के पत्र में उल्लिखित सुझावों पर उचित कार्यवाही करते हुए आयोग के साथ-साथ सांसद महोदय को इस विषय में की गई कार्यवाही से सूचित करने का कष्ट करे।

प्रतिलिपिः संलग्नक

Cout Anuradha.

भवदीय

प्रोफेसर (डा०) जसपाल सिंह सन्ध्

SI-NOI CR)

बी-401, एम.एस फ्लैट्स,

बाबा खडक सिंह मार्ग.

फोन-011-23329320

दिनांक:-20.11.2015

नई दिल्ली-110001

कृपाल बालाजी तुमाने

संसद सदस्य (लोक सभा)

KT-MA/RAMTEK /03 (D4)/2015

प्रति,

मा. श्रीमती समृति ईरानी जी, मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

> विषय:- देश में चल रहे ट्यूशन संस्थानों/क्लासों की समीक्षा, मनमानी रोकने, आवश्यक गाइड लाइन जारी करने तथा पाठशाला/महाविद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ाई न होने के कारण उनकी जांच और ऐसे पाठशालाओं/महाविद्यालयों का अनुदान बंद करने हेतु।

महोदया,

उपरोक्त विषय के संबंध में मेरे कार्यालयीन पत्र क. केटी-एमपी/ रामटेक/3349/2015: दिनाक-07/09/15 एवं केटी-एमपी/रामटेक/3060/ कृपया अवलोकन करें। जिसमें 2015: दिनांक-26/07/2015 का पादशाला/महाविद्यालय और ट्यूशन क्लारोस पर कार्यवाही हेतु आएके विभाग को दिया गया था. दिनांक 4.8.2015 का नियम 377 के अधीन इस विषय की ओर मैंने सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अभी तक न ही मेरे पत्रों का और न ही नियम 377 का जवाब मुझे मिला है और अभी तक मंत्रालय से कोई भी आद्रेश निर्गत नहीं होने के कारण ट्यूशन संस्थानों/क्लासों की मनमानी अभी भी चल रही है तथा विद्यार्थियों से मनमानी ट्यूशन फीस 1,25000/- से 2,50,000/- रूपये तक ली जा रही है और संचालक कुछ किये बिना ही मालामाल हो रहे हैं। गरीब परिवार के विद्यार्थियों के पास पैसा नहीं होने के कारण वह गुणात्मक शिक्षा लेने से वंचित रह जाते 音1

पाठशाला/महाविद्यालयों और विद्यापीठ/बोर्ड की ट्यूशन संस्थानों/क्लास के साथ संचालकों की सांठगांठ होने से शिक्षक पढ़ाई न लेते हुए विद्यार्थियों को ट्यूशन लगाने की सलाह देते हैं। पैसा नहीं होने के कारण गरीबी रेखा के लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इन ट्यूशन संस्थानों/क्लासों में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के चैप्टर पढ़ाये जाते हैं। इस वजह से विद्यार्थियों में



पंसद सदस्य (लोक सभा)





-2-

गुणवत्ता का अभाव होता है। महाराष्ट्र राज्य हो या और कोई अन्य राज्य हो जिसमें अवैद्य रूप से चल रहे ट्यूशन क्लास पर अंकुश लगाने वाला कोई भी बोर्ड न होने के कारण गली-गली में ट्यूशन क्लास खोल रहे हैं। जिनका लेखा-जोखा किसी के पास नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि ट्यूशन संस्थान/क्लास की देखरेख हेतु एक बोर्ड का गठन किया जाना अति आवश्यक है तथा ट्यूशन संस्थानों/क्लासों का पंजीयन, फीस निर्धारण, उनके लिए नियमावली, निरीक्षण जैसे काम होना जरूरी है। जिससे उन पर बोर्ड का नियंत्रण रहेगा और मनमानी वसूली जा रही ट्यूशन फीस पर लगाम लगने में सहायता होगी तथा इस संबंध में बिल पास किया जाए जिससे गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों को राहत मिल सके और ट्यूशन क्लास के संचालकों द्वारा की जा रही लूटमार पर लगाम लगने में मदद मिल सके तथा स्कूल/विद्यालय/बोर्ड/महाविद्यालय में शिक्षक अच्छी तरह से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का निर्देश जारी करने की कृपा करें, में आशा करता हूँ कि इस पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही से आप मुझे जरूर अवगत करायेंगे।

धन्यवाद,

आपका,

(कृपाल तुमाने)